

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 दिसम्बर, 1997

सं०सा०का०नि० 104/संवि०/अनु० 309/97— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा आयुर्वेदिक शिक्षा (ग्रुप-ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**भाग I—सामान्य**

1. (i) ये नियम हरियाणा आयुर्वेदिक शिक्षा (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1997 कहे जा सकते हैं संक्षिप्त नाम।  
(ii) ये तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।
2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:- परिभाषाएं।
  - (क) “बोर्ड” से अभिप्राय है, अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण बोर्ड हरियाणा;
  - (ख) “सीधी भर्ती” से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे पदाधारी के स्थानांतरण से अन्यथा की गई हो;
  - (ग) “निदेशक” से अभिप्राय है, निदेशक आयुर्वेद विभाग, हरियाणा;
  - (घ) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;
  - (ङ.) “संस्था” से अभिप्राय है,—
    - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; अथवा
    - (ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;
  - (च) “मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय” से अभिप्राय है,—
    - (i) भारत में विधि द्वारा नियमित कोई विश्वविद्यालय; या
    - (ii) 15 अगस्त, 1947 से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में पंजाब, सिंध या ढाका विश्वविद्यालय; या
    - (iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;
  - (छ) “सेवा” से अभिप्राय है, हरियाणा आयुर्वेदिक शिक्षा (ग्रुप-ग) सेवा;

**भाग II—सेवा में भर्ती**

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में बताए गए पद होंगे:  
परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।
4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो:-
  - (क) भारत का नागरिक; या
  - (ख) नेपाल की प्रजा; या
  - (ग) भुटान की प्रजा; या
  - (घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या
  - (ङ.) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या कीनिया युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जांबिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो:  
परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ.) से संबंधित कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति

पदों की संख्या  
तथा उनका  
स्वरूप।

सेवा में नियुक्त  
उम्मीदवारों की  
राष्ट्रिकता,  
अधिवास तथा  
चरित्र।

होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो।

- (2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता के प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण—पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।
- (3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालयनय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चिरित्र प्रमाण—पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से, जो उसके संबंधी न हो, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भांति परिचित हो और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हो, उसी प्रकार के प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करे।
5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो आयु।  
बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को:—  
(क) संस्कृत प्राध्यापक की दशा में 25 वर्ष की आयु से कम या 40 वर्ष की आयु से अधिक हो;  
(ख) प्रदर्शक के सभी विषयों की दशा में 25 वर्ष की आयु से कम या 40 वर्ष की आयु से अधिक हो;  
(ग) शारीरिक शिक्षा प्राध्यापक की दशा में 25 वर्ष की आयु से कम या 35 वर्ष की आयु से अधिक हो;  
(घ) स्टाफ नर्स की दशा में, 20 वर्ष की आयु से कम या 35 वर्ष की आयु से अधिक, हो; या  
(ङ) फोटोग्राफर, प्रयोगशाला, टैक्नीशियन, प्रयोगशाला सहायक और सहायक पुस्तकाध्यक्ष की दशा में, 17 वर्ष की आयु से कम तथा 35 वर्ष की आयु से अधिक हो।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां निदेशक द्वारा की जायेगी।

नियुक्ति प्राधिकारी।  
अर्हताएं।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट—ख के खना 3 में और सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो:

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में अनुभव संबंधी अर्हताओं में बार्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवके पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनूसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिये जायेगे।

8. कोई भी व्यक्ति—

निरर्हताएं

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संबिदा कर ली है, या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संबिदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुक्षेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी:—

(क) संस्कृत प्राध्यापक की दशा में —

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) प्रदर्शक संस्कृत साहित्य तथा सिद्धान्त, प्रदर्शक रचना शरीर, प्रदर्शक क्रिया शरीर, प्रदर्शक द्रव्यगुण, प्रदर्शक शरीर, प्रदर्शक स्पर्श्वृत साहित्य योगा एवं अगद तन्त्र साहित्य प्रदर्शक रोग निदान सहित काया चिकित्सा, प्रदर्शक प्रसूति स्त्री रोग तथा कुमार भृता प्रदर्शक शालक्य की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

भर्ती का ढंग।

- (ग) प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा की दशा में,—
- सीधी भर्ती द्वारा; या
  - किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (घ) फोटोग्राफर की दशा में,—
- सीधी भर्ती द्वारा; या
  - किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (ङ.) स्टाफ नर्स की दशा में,—
- सीधी भर्ती द्वारा; या
  - किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (च) प्रयोगशाला टैक्नीशियन की दशा में,—
- सीधी भर्ती द्वारा; या
  - किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (छ) प्रयोगशाला सहायक की दशा में,—
- प्रयोगशाला परिचर में से पदोन्नति द्वारा, या
  - सीधी भर्ती द्वारा; या
  - किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (ज) सहायक पुस्तकाध्यक्ष की दशा में,—
- सीधी भर्ती द्वारा; या
  - किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (2) सभी पदोन्नतियां ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा; परन्तु —
- (क) ऐसी नियुक्ति के पश्चात् किसी अनुरूप अथवा उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई अवधि, परिवीक्षा की अवधि के रूप में गिनी जायेगी;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा कीी नियुक्ति की दशा में सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा की अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है; और
- (ग) स्थानान्तरण नियुक्ति कोई भी अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।
- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य अथवा आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो वह,—
- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे किसी उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—
- उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
  - उसके सम्बन्ध में किसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें अनुज्ञात करें।
- (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी,—
- (क) यदि उसकी राय में उसका कार्य अथवा आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—
- ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो; उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है, अथवा
  - ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थाई रिक्ति

परिवीक्षा।

होने की तिथि से पुष्टि कर सकता है, या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता।

11. सेवा के सदस्यों के परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय बोर्ड द्वारा निश्चित योग्यता कम परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप में निश्चित की जायेगी,—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य में ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किया गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर पद पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी सम्पन्न हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये, आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिये दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है:—

सेवा करने का दायित्व।

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह नियमित हों या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य, ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों, अथवा उसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा-संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन रहते हुये, वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उपनियम (i) के

खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट ('घ') में विनिर्दिष्ट है।

टीका लगवाना

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा।

राजनिष्ठा की शपथ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक कि उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की शक्ति।

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों में किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समोचन हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, नियुक्त प्राधिकारी, यदि नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों अथवा व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग अथवा प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार से किये गये आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

20. सेवा को लागू पंजाब आयुर्वेदिक विभाग (वर्ग III टैकनीकल) सेवा नियम, 1963 तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा निरसित किया जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित किये गये नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

परिशिष्ट क  
(देखिये नियम 3)  
पदों की संख्या

क्रम संख्या	पदनाम	स्थाई	अस्थाई	जोड़	वेतनमान
1	2	3	4	5	6
1	संस्कृत अध्यापक	---	1	1	2,000—60—2,300—75—2,900 द.रो.—100—3,500 रुपये
2	प्रदर्शक, संस्कृत साहित्य तथा सिद्धान्त	---	1	1	2,000—60—2,300—75—2,900 द.रो.—100—3,500 रुपये अव्यवसायी भत्ता
3	प्रदर्शक, रचना शरीर	---	1	1	2,000—60—2,300—75—2,900 द.रो.—100—3,500 रुपये अव्यवसायी भत्ता
4	प्रदर्शक, क्रिया शरीर	---	1	1	2,000—60—2,300—75—2,900 द.रो.—100—3,500 रुपये अव्यवसायी भत्ता
5	प्रदर्शक, द्रव्य गुण	---	1	1	2,000—60—2,300—75—2,900 द.रो.—100—3,500 रुपये अव्यवसायी भत्ता
6	प्रदर्शक, शरीर	---	1	1	2,000—60—2,300—75—2,900 द.रो.—100—3,500 रुपये अव्यवसायी भत्ता
7	प्रदर्शक योगा तथा अगद तन्त्र सहित स्वास्थ्य वृत	---	1	1	2,000—60—2,300—75—2,900 द.रो.—100—3,500 रुपये अव्यवसायी भत्ता
8	प्रदर्शक, रोग निदान सहित काया चिकित्सा	---	1	1	2,000—60—2,300—75—2,900 द.रो.—100—3,500 रुपये
9	प्रदर्शक, प्रसुति स्त्री रोग तथा कुमार भुत्ता	---	1	1	2,000—60—2,300—75—2,900 द.रो.—100—3,500 रुपये अव्यवसायी भत्ता
10	प्रदर्शक, शल्य शालक्य	---	1	1	2,000—60—2,300—75—2,900 द.रो.—100—3,500 रुपये अव्यवसायी भत्ता
11	प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा	---	1	1	2,000—60—2,300—75—2,900 द.रो.—100—3,500 रुपये
12	फोटोग्राफर	---	1	1	1,400—40—1,600—50—2,300 द.रो.—60—2,600 रुपये
13	स्टाफ नर्स	---	1	1	1,400—40—1,600—50—2,300 द.रो.—60—2,600 रुपये
14	प्रयोगशाला टैक्नीशियन	---	1	1	1,350—30—1,540—40—1,800 द.रो.—50—2,200 रुपये
15	प्रयोगशाला सहायक	---	1	1	1,200—30—1,560—द.रो.—40—2,040 रुपये
16	सहायक पुस्तकाध्यक्ष	---	1	1	950—20—1,150—द.रो.—25—1,500 रुपये

नोट : अव्यवसायी भत्ता ---

2,000 रुपये से 3,000 रुपये मूल वेतन तक 600 रुपये ।

3,000 रुपये से 3,500 रुपये मूल वेतन तक 800 रुपये ।







12	फोटोग्राफर	<p>(i) मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष योग्यता;</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था अथवा कला विद्यालय से वाणिज्यिक कला में उपाधि-पत्र;</p> <p>(iii) फोटोग्राफी तथा फोटोग्राफी तकनीक में एक वर्ष के अनुभव का प्रमाण-पत्र हो;</p> <p>(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान</p>	<p>(i) मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष योग्यता;</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था अथवा कला विद्यालय से वाणिज्यिक कला में उपाधि-पत्र;</p> <p>(iii) फोटोग्राफी तथा फोटोग्राफी तकनीक में एक वर्ष के अनुभव का प्रमाण-पत्र हो;</p> <p>(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान</p>
13	स्टाफ नर्स	<p>(i) मैट्रिक;</p> <p>(ii) हरियाणा नर्सिंग पंजीकरण परिषद् द्वारा श्रेणी में पंजीकृत नर्स या इसके समकक्ष;</p> <p>(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।</p>	<p>(i) मैट्रिक;</p> <p>(ii) हरियाणा नर्सिंग पंजीकरण परिषद् द्वारा “ए” श्रेणी में पंजीकृत नर्स या इसके समकक्ष;</p> <p>(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।</p>
14	प्रयोगशाला टैक्नीशियन	<p>(i) भौतिकी तथा रसायन विज्ञान सहित या उच्चतर माध्यमिक;</p> <p>(ii) जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, करनाल, या हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से प्रयोगशाला टैक्नीशियन पाठ्यक्रम में उपाधि-पत्र;</p> <p>(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।</p>	<p>(i) भौतिकी तथा रसायन विज्ञान सहित मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक;</p> <p>(ii) जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, करनाल, या हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से प्रयोगशाला टैक्नीशियन पाठ्यक्रम में उपाधि-पत्र;</p> <p>(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।</p>
15	प्रयोगशाला सहायक	<p>(i) भौतिकी तथा रसायन विज्ञान सहित मैट्रिक अथवा उच्चतर माध्यमिक;</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;</p> <p>(iii) जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, करनाल, या हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से प्रयोगशाला टैक्नीशियन पाठ्यक्रम में उपाधि-पत्र</p>	<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी तथा रसायन विज्ञान सहित मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष;</p> <p>(ii) प्रयोगशाला परिसर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;</p> <p>(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।</p>
16	सहायक पुस्तकाध्यक्ष	<p>(i) मैट्रिक या इसके समकक्ष;</p> <p>(ii) पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि-पत्र;</p> <p>(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।</p>	<p>(i) मैट्रिक या इसके समकक्ष;</p> <p>(ii) पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि-पत्र;</p> <p>(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।</p>

---

परिशिष्ट ग

[देखिये नियम 14 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	संस्कृत अध्यापक	निदेशक	1. छोटी शास्तियां—	निदेशक	सरकार
2	प्रदर्शक, संस्कृत साहित्य तथा सिद्धान्त		(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुये चेतावनी;		
3	प्रदर्शक, रचना शरीर		(ii) परिनिन्दा;		
4	प्रदर्शक, क्रिया शरीर		(iii) पदोन्नति रोकना;		
5	प्रदर्शक, द्रव्य गुण		(iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, को चाहे वह निगमित हो या नही, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धि पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली;		
6	प्रदर्शक, शरीर		(v) संचयी प्रभाव के बिना वेत वृद्धियां रोकना;		
7	प्रदर्शक योगा तथा अगद तन्त्र सहित स्वास्थ्य वृत्त		2. बड़ी शास्तियां—		
8	प्रदर्शक, रोग निदान सहित काया चिकित्सा		(vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना;		
9	प्रदर्शक, प्रसुति स्त्री रोग तथा कुमार भुत्ता		(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान मे निरन्तर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नही और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेंगी या नही;		
10	प्रदर्शक, शल्य शालक्य		(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था पदोन्नति के लिये साधारणतया रोक होंगी, ऐसी जिस ग्रेड अथवा पद या सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे मे शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उसके बिना होगा;		
11	प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा		(ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति;		
12	फोटोग्राफर		(x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये निरर्हता नही होगी।		
13	स्टाफ नर्स		(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यतः निरर्हता होगी।		
14	प्रयोगशाला टैक्नीशियन				
15	प्रयोगशाला सहायक				
16	सहायक पुस्तकाध्यक्ष				

परिशिष्ट घ

[देखिये नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	संस्कृत अध्यापक	(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले	निदेशक	सरकार
2	प्रदर्शक, संस्कृत साहित्य तथा सिद्धान्त	नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की		
3	प्रदर्शक, रचना शरीर	राशि में कमी करना या रोकना;		
4	प्रदर्शक, क्रिया शरीर			
5	प्रदर्शक, द्रव्य गुण	(ii) उसकी अधिवाषिता के लिये		
6	प्रदर्शक, शरीर	नियम आयु के होने से अन्यथा		
7	प्रदर्शक योगा तथा अगद तन्त्र सहित स्वास्थ्य वृत्त	नियुक्ति की समाप्ति।		
8	प्रदर्शक, रोग निदान सहित काया चिकित्सा			
9	प्रदर्शक, प्रसुति स्त्री रोग तथा कुमार भुत्ता			
10	प्रदर्शक, शल्य शालक्य			
11	प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा			
12	फोटोग्राफर			
13	स्टाफ नर्स			
14	प्रयोगशाला टैक्नीशियन			
15	प्रयोगशाला सहायक			
16	सहायक पुस्तकाध्यक्ष			

वीना ईगलटन,  
सचिव, हरियाणा सरकार,  
स्वास्थ्य विभाग।